UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
e-mail id:< dgmir.uppcl@zmail.com>

संख्या–2528–औ0सं0/2012–11(4)एफ/86(टी.सी.–2010) दिनांक 22 अगस्त, 2012

विषय :– स्वेच्छा से उत्तर प्रदेश के बाहर एवं प्रदेश के अन्दर गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में भर्ती होकर करायी गई चिकित्सा/उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध मे।

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन के विषयगत आदेश संख्या–2930–औस/2008–11(4) एफ/86 (वाल्यूम–1) दिनांक 04.08.2008 का आंशिक संशोधन एवं संख्या–154–औस/2011–11(4)एफ/86 (टी0सी0) दिनांक 28.01.2011 एवं आदेश संख्या–2921–औस /2011–11(4)एफ/86 दिनांक 26.09.2011 को अतिकमित करते हुए उत्तर प्रदेश में एवं उत्तर प्रदेश के बाहर गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भर्ती होकर करायी गयी चिकित्सा/उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कारपोरेशन द्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

(अ) कारपोरेशन के कार्यरत्/सेवानिवृत्त आधिकारियो/कर्मचारियो उनके आश्रितो तथा पारिवारिक पेंशनधारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर अथवा उत्तर प्रदेश राज्य में गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय जिसमें नर्सिंग होम एवं क्लीनिक सम्मिलित नहीं होंगे में भर्ती होकर कराये गये उपचार/चिकित्सा पर हुए चिकित्सा व्ययों की कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में प्रश्नगत चिकित्सा कराने हेतु कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0 दरो की 70% धनराशि की प्रतिपूर्ति ही अनुमन्य की जायेगी।

(ब) कारपोरेशन की शर्तो का उल्लंघन करने, निर्धारित दरो से अधिक धनराशि चार्ज करने, अथवा चिकित्सा सेवाये सन्तोषप्रद न पाये जाने के कारण जिन चिकित्सालयो की मान्यता कारपोरेशन द्वारा समाप्त की गई है ऐसे चिकित्सालय में चिकित्सा या उपचार कराने पर किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं की जायेगी।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरण उक्त व्यवस्था के अनुरूप निस्तारित किये जाये तथा पूर्व में निस्तारित किये जा चुके प्रकरण पुनरूद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या–2528–(1) औ0सं0/2012/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी /पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

2/–

Note for board

5 अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

6 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7 मुख्य अभियन्ता जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।

9 मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

10 अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

11 समस्त संयुक्त सचिव/उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

12 समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

13 अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

14 सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति आपर्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

15 कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)